23/2/22

प्रार्थी [illegible]। वकील [illegible]
अप्रार्थी [illegible] वकील
वादी का वाद [illegible] है।
विरुद्ध लिखित [illegible]
प्रस्तुत किया गया। मुताबिक लिखित
[illegible] डिक्री जारी की जावे। प्रार्थी
[illegible] के [illegible]
[illegible] हो। लिखित
बहस हेतु दिनांक 23/02/2022 को पेश
पत्रावली [illegible]।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर (प्रथम), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अरशदीप बराड(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या : 30/2019

1. कल्याण सहाय पुत्र भूराराम, जाति नाई, निवासी ग्राम सरनाडूंगर, तहसील व जिला जयपुर।

...........वादी

बनाम

1. रिरोही गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर जरिये अध्यक्ष बोदूराम, निवासी-दादी का फाटक, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92 ए व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांकः 23/02/2022

दिनांक 26.07.2019 को वादी अधिवक्ता ने वादपत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सरनाडूंगर, भू0अभि0निरी0क्षेत्र माचवां, तहसील व जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 163, रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा के हाल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार सीताराम पुत्र गोदूराम, कल्याण सहाय पुत्र भूराराम हिस्सा 1/2, बिशनलाल, लक्ष्मीनारायण, संतोष पुत्रान् श्री नारायण सैनी हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। उक्त भूमि पर दिनांक 24.06.2005 भूमि माफी मंदिर श्री ठाकुरजी की होने से यथास्थिति का नोट हाल जमाबंदी में अंकित है। वादग्रस्त भूमि का आज दिन तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है, सभी खातेदार अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त भूमि शामलाती कृषि भूमि है। वाद कारण दिनांक 19.07.2019 को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि पर नाप जोख करने व ग्रेवल रोड डालकर आवासीय कॉलोनी विकसित करने व बेदखल करने की एलानियां धमकी देने के कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। कानूनन कृषि भूमि पर विभाजन के अभाव में किसी भी व्यक्ति को भूमि के विशिष्ट भू-भाग का बेचान, निर्माण आदि करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी सं01 न तो वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है ना ही किसी प्रकार का उक्त भूमि से संबंध है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः निवेदन किया कि वाद वादी बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 163 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा के किसी भू-भाग पर किसी प्रकार

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे ना ही ग्रेवल रोड इत्यादि डाले ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, परिवारजन भूखण्डधारियों आदि से करवायें, मौके व राजस्व रिकार्ड की वर्तमान यथास्थिति बनाये रखे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर सभी पक्षकारान की तामील करवाई गई। बाद तामील उपस्थित न होने की स्थिति में प्रतिवादी सं0 1 के खिलाफ दिनांक 30.03.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 2 तहसीलदार जयपुर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उल्लेख किया गया कि

(1.) बिंदु सं0 1 के अनुसार ग्राम सरनाडूंगर के खसरा नं0 163 की खातेदारी जमाबंदी संवत् 2073–76 अनुसार बिशनलाल, लक्ष्मीनारायण, संतोष पिता श्रीनारायण जाति माली सा.देह हि0 1/2 कल्याण सहाय पुत्र भूराराम हि0 1/4 जाति नाई सा.देह, सीताराम पुत्र गोदूराम हि0 1/4 जाति नाई सा.देह के नाम से दर्ज है।

जिस पर तहसील क्रमांक 2911 दिनांक 24.06.2005 की पालना में भूमि माफी मंदिर रेफरेन्स प्रकरण विचाराधीन का नोट अंकित है।

(2.) बिंदु सं0 2 न्यायालय से संबंधित है।

(3.) बिंदु सं0 3 के अनुसार उक्त भूमि का विधिक विभाजन नही हुआ है परन्तु मौके पर कृषि ना होकर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है।

(4.) बिंदु सं0 4 पटवार हल्का से संबंधित नहीं है।

(5.) बिंदु सं0 5 न्यायालय से संबंधित है।

(6.) बिंदु सं0 6 न्यायालय से संबंधित है।

(7.) बिंदु सं0 7 न्यायालय से संबंधित है।

(8.) श्रीमान्जी उक्त खसरा नं0 163 का मौका निरीक्षण किया गया, जिसके अनुसार मौके पर कृषि कार्य ना होकर भूमि पर फैक्ट्रियां बनाकर भूमि का व्यावसयिक उपयोग किया जा रहा है। आसपास पूछताछ करने पर बताया गया कि उक्त निर्माण लगभग 10 वर्ष से अधिक पुराना है।

(9.) खसरा नं0 163 में माफी मंदिर रेफरेंस विचाराधीन श्रीमान् अति0 जिला कलक्टर द्वितीय महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:56 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली वाद पत्र का अध्ययन कर यह पाया गया कि वादी द्वारा मूल अनुतोष प्रतिवादी सं0 1 को विवादग्रस्त भूमि ग्राम सरनाडूंगर, भू0अभि0निरी0क्षेत्र माचवां, तहसील व जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 163, रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु चाहा है। राजस्थान काश्तकारी

अर्शदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अधिनियम की धारा 188 में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रतिवादी द्वारा वादी को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि पर कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है?

प्राप्त तहसीलदार जयपुर रिपोर्ट अनुसार न्यायालय यह पाता है कि यह भूमि कृषि कार्य के उपयोग में नहीं आ रही। बल्कि यहां फैक्ट्रियां बना कर भूमि का व्यावसयिक उपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जहां भूमि पर कृषि कार्य हो ही नही रहा वहां वादी को उसके कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न होने का सवाल ही पेश नहीं होता।

दूसरा अहम विचारणीय बिंदु यह है कि इस भूमि पर वास्तविक तौर पर किस भाग पर किस व्यक्ति का कब्जा है यह भी स्पष्ट नहीं है।

तीसरा बिंदु यह है कि इस वाद पत्र में वादी ने इस भूमि का कृषि भूमि होना बताया जबकि प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार इस भूमि पर लगभग 10 साल से फैक्ट्री इत्यादि होना बताया गया। वादी को इस सब की जानकारी होने के बावजूद वादी द्वारा यह तथ्य छुपाये गये एवं माफी मंदिर रेफरेन्स यथास्थिति का नोट होने बावजूद इसकी पालना नहीं की गई।

अतः ऐसी स्थिति में जहां भूमि पर कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं है, भूमि पर कृषि कार्यवाही नही की जा रही है व वादी द्वारा वास्तविक तथ्य छुपा कर वाद पेश किया गया है। न्यायालय यह वाद खारिज करना उचित पाता है।

यह विवादग्रस्त भूमि बाबत माफी मंदिर रेफरेन्स श्रीमान् अति0 कलक्टर द्वितीय महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है व इस बाबत जमाबंदी में यथास्थिति का नोट भी अंकित है। इस भूमि का अकृषि कार्य हेतु रूपांतरण भी नहीं हुआ। उसके बावजूद इस पर व्यावसयिक कार्य व निर्माण किया जा रहा है जो कि न्यायालय आदेशों की अवमानना है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के खिलाफ है। अतः यह वाद खारिज किया जाता है। मुताबिक निर्णय अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:56 IST
Reason: SelfAttested

(अरशदीप बराड़)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्रीमती अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)**

कल्याण सहाय पुत्र भूराराम, जाति नाई, निवासी ग्राम सरनाडूंगर, तहसील व जिला जयपुर।

.....वादी

बनाम

1. सिरोही गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर जरिये अध्यक्ष बोदूराम, निवासी– दादी का फाटक, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92 ए व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा 30/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्रीमती अरशदीप बराड** व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **यह विवादग्रस्त भूमि बाबत माफी मंदिर रेफरेन्स श्रीमान् अति0 कलक्टर द्वितीय महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है व इस बाबत जमाबंदी में यथास्थिति का नोट भी अंकित है। इस भूमि का अकृषि कार्य हेतु रूपांतरण भी नहीं हुआ। उसके बावजूद इस पर व्यावसयिक कार्य व निर्माण किया जा रहा है जो कि न्यायालय आदेशों की अवमानना है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के खिलाफ है। अतः यह वाद खारिज किया जाता है। तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार कार्यवाही करें।**

इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ..... मुवलिग ..... बाबत .....

खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ..... फीसदी सालाना आज की

तारीख से तारीख अदायगी तक ..... अदा करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:56 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/2/22 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

ओहदा .....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महन्ताना वकील	00	00
महन्ताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत् इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00	00
मुतफरिक	00	00		00	00
मीजान	00	00	मीजान	00	00

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फीकेन का चाहे डिगरीके जरिये दिखाया हो।

अरशदीप ब्रार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:56 IST
Reason: SelfAttested